

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग


क्रमांक:- एफ.4() परावि./पी.सी./है.प.मि./2006/ 106 जयपुर, दिनांक

02-05-2007

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के हैण्डपम्प मिस्त्रियों को इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.13 (147) विधि / ग्रा.वि.प./ उच्च न्यायालय /94 / 3882 दिनांक 30.12.95 के अध्यक्षीन दिनांक 01-01-96 या इसके पश्चात नियमितीकरण किये जाने की दिनांक से सेवा की गणना करते हुये 9, 18, एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ/ परिलाभ इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अदेशों के अनुसार यथावत देय होंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 3849 दिनांक 26.4.07 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतयी राज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतयी राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
4. शासन उप सचिव वित्त व्यय-3 विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. जल भवन, राज0 जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित
9. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव एवं आयुक्त